महत्वपूर्ण

संख्या– 1160 (3)/छः–पु0–9–16–31(90)/2010

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिसअधीक्षक
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग–9

लखनऊः दिनांकः 22 जून,2016

विषयः–उत्तर प्रदेश में एसिड (तेजाब) की खुलेआम बिकी को नियंत्रित करने के लिए निर्गत उत्तर प्रदेश विष (कब्जा और विकय) नियमावली,2014 के कियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1160/छः–पु0–9–16–31(90)/2010 दिनांक 10 मई,2016, संख्या– 1160 (1)/छः–पु0–9–16–31(90)/2010 दिनांक 11 मई, 2016 एवं संख्या– 1160 (2)/छः–पु0–9–16–31(90)/2010 दिनांक 13 जून,2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश विष (कब्जा और विकय) नियमावली,2014 में विहित प्रावधानों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित पी0आई0एल0 संख्या–18294/2016 मुहिम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 03 अन्य में दिनांक 11.05.2016 को दिये गये आदेशों के अनुपालन में शासन की ओर से प्रतिशपथ–पत्र दाखिल करने हेतु जनपद स्तर पर कृत कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। जनपदों से जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वह अपेक्षा के अनुरूप नहीं हैं। अतः आप कृपया तेजाब बिकी के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर सूचना जिलाधिकारी एवं जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से दिनांक 26.06.2016 तक गृह विभाग के फैक्स–0522–2238409/2238407 अथवा ईमेल– shome@nic.in पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें:–

क0सं0	जनपद का नाम	एसिड (तेजाब) बिकी पर रोक संबंधी सूचनाओं/प्रचार–प्रसार के संबंध में जनपद स्तर पर की गयी बैठकों की संख्या	जनपद में एसिड (तेजाब) बिकी हेतु कुल लाइसेंसी	जनपदीय टीम द्वारा की गयी निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षण में प्राप्त अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण यथा–स्टाक रजिस्टर/आई0डी0 इत्यादि	अनियमितताओं के विरूद्ध की गयी कार्यवाही यथा–स्टाक जब्ती, जुर्माना, एफ0आई0आर0 इत्यादि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

भवदीय,

22.06.16

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव।

संख्याः एवं दिनांकः उपरोक्त–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध से कि अपने मण्डल के जनपदों की सूचना समयान्तर्गत प्रेषित कराना सुनिश्चित करायें।
(3) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।